यू.पी. को-कॉपरेटिव गन्ना यूनियन फेडरेशन लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

लीलाधर और अन्य

27 अगस्त, 1980

{पी.एन. सिंहल और डी.ए. देसाई, जे.जे.}

सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार- अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विवाद जिसके परिणामस्वरूप सहकारी गन्ना उत्पादक समिति के एक कर्मचारी को समिति द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, क्या यह विवाद सहकारी समिति नियमावली, 1936 के नियम 115 के तहत''
व्यवसाय को छू हरा हैं' - सहकारी समितियां अधिनियम 1912, धारा 2 डी, 43, सहकारी समितियां नियम 1936, नियम 115 या 134 एव उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनिम 1953, धारा 28 (2 एन) सहपठित उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियम) नियम 1954, नियम 54, 55 एवं 108 की सीमा।

प्रतिवादी ने यू.पी. प्रदेश सरकार के गन्ना विकास विभाग में 1949 में सेवा में शामिल हुआ एवं बाद में जिला सहकारी गन्ना विकास सोसायटी लिमिटेड जो कि यू.पी. सहकारी समिति गन्ना यूनियन फेडरेशन लिमिटेड

की संघीय इकाई थी, उसमें स्थानांतरित किया गया। उसको कथित धनराशि के गबन के आक्षेप में अभियोजित किया गया और दोषसिद्ध पाया गया, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उसे दोषमुक्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया। रेस्पोडेंट ने इसके पश्चात् 1964 में एक सिविल दावा दायर किया, जिसे मई 24, 1964 को डिक्री किया गया। अपीलार्थी ने इसकी अपील में अभिवाक् लिया कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंतर्गत नियम 115 सहकारी समिति नियम, 1936, सहकारी समिति अधिनियम, 1912 की धारा 43 के अंतर्गत वर्जित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया तथा वाद को खारिज करते हुए अवधारित किया कि विवाद''

ह' एवं इसका कर्मचारी है तथा सिविल न्यायालय में दायर दावा विचार करने से वर्जित है हालांकि द्वितीय अपील में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को पलटते हुए अवधारित किया कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद के विनियमन) अधिनियम, 1953 से शासित होता है सहकारी समिति एवं गन्ना उत्पादक सहकारी समिति दोनों के रहते हुए एवं किसी अधिकारी या नौकर जो कि गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच कोई विवाद यदि अधिकारी एवं कर्मचारी और उस समिति का होगा तो नियम 54, 55 जो कि 1953 के अधिनियम के अंतर्गत है द्वारा शासित होगा जो कि विवाद निस्तारण का पूर्ण तंत्र है एवं नियम 108 अनुशासनात्मक कार्यवाही जो कि समिति एवं इसके

अधिकारी व कर्मचारी के बीच उत्पन्न होता है उसमें आकर्षित नहीं होता है इस प्रकार अनिवार्य आर्बिट्रेशन के प्रावधानों की अनुपस्थिति में विवाद सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित नहीं करता है।

विशेष अनुमति द्वारा अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

(1) उच्च न्यायालयों के फैसले के परिप्रेक्ष्य में और ''अधिकारी' शब्द की अभिव्यक्ति की परिभाषा और इसकी व्युत्पत्ति, प्रशस्त परिभाषा एवं इसकी शब्द भाषा की समझ के अनुसार प्रथम प्रतिवादी जो कि गोदाम रक्षक परिवेक्षक वो सहकारी समिति के ऑफिसर की तरह नहीं हो सकता, वह न तो चेयरमैन, सचिव, खजांची या समिति का कोई सदस्य या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो निर्देश देने के लिए नियमों या उपनियमों के तहत समिति के व्यवसाय के संबंध में सशक्त किया गया है न ही विधायन का ऐसा कोई आशय सम्मिलित है जिसमें प्रत्येक समिति कर्मचारी या नौकर ''अधिकारी'' अभिव्यक्ति में सम्मिलित है न हीं अधिनियम, 1912 की धारा 43 जी के तहत बनाए गए किसी भी नियम में प्रतिवादी को एक अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है।

संदर्भः- सहकारी केंद्रीय बैंक बनाम त्र्यंबक नारायण शिंगणवाडीकर, ए. आई. आर. 1945 नागपुर 183 य मंजेरी एस. कृष्ण अय्यर बनाम सचिव, अर्बन बैंक लिमिटेड और अन्य एआईआर 1933 मद्रास 682: कैलाश नाथ हलवाई बनाम पंजीयक, सहकारी समिति, यू. पी. और अन्य,

ए. आई. आर. 1960 इलाहाबाद 194 और अबू बेकर एवं अन्य बनाम जिला हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, मऊ और अन्य, ए. आई. आर. 1966 इलाहाबाद 12

(2) सहकारी समितियां नियम, 1936 का नियम 115 से 134 यह स्पष्ट करते हैं कि यदि विवाद नियम 115 के विचार में है और उसमें परिकल्पित पक्षकारों के बीच में है तो उसे पंजीयक को संदर्भित करके हल करना होगा, जो इसे स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता से हल करना होगा, नियम 134 में प्रावधान है कि नियमों के तहत मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतिम होगा, यदि उसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार उसकी अपील नहीं की जाती है और उसे किसी भी दीवानी या राजस्व अदालत में प्रश्नगत किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अगर इस प्रकार 1912 का अधिनियम नियमों को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है और वे अधिनियमित नियम वैधानिक हैं और कुछ विशिष्ट पक्षों के बीच कुछ प्रकार के विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रावधान करते हैं और मध्यस्थों के निर्णय को अंतिम और निश्चायक बनाया जाता है तो दीवानी न्यायालय द्वारा सुधार योग्य नहीं है निःसंदेह यदि विशिष्ट विवाद, विशिष्ट पार्टियों के बीच में नियम 114 के संबंध में है तो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा।

(3) नियम 115 को आकर्षित करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि (1) कि विवाद सहकारी समिति के व्यवसाय को स्पर्श करने

वाला और (2) समिति और समिति के किसी भी अधिकारी के बीच हो। दोनों ही शर्तें नियम 115 को आकर्षित करने के लिए संचयी रूप से पूर्ण हा,ै जिसका परिणाम नियम 134 में निहित प्रावधान के लिए दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को हटाने का होगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विवाद जो कि समिति के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का परिणाम है के लिए धारा 115 के अर्थ में यह नहीं कहा जा सकता कि ''व्यवसाय को छूने वाला विवाद है।''

डेकन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम एम.एस. डालीचंद जुगराज जैन और ओआरएस, (1969) 1 एस.सी.आर. 887: सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य, (1970) 1 इसके बाद एस. सी. आर. 205 अनुगमन किया।

किसनलाल और अन्य बनाम वी. सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ए.आई.आर. 1946 नागपुर 16 को अनुमोदित किया गया।

(4) उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 70 भी यह स्पष्ट करती है कि रजिस्ट्रार द्वारा मध्यस्थता द्वारा सहकारी समितियों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए वैधानिक प्रावधान करते समय विधायिका ने वेतनभोगी सेवकों के खिलाफ सोसायटी द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित विवाद को अनिवार्य मध्यस्त्थता के दायरे से बाहर रखा है। 1912 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में

जो निहित था,कि ऐसा विवाद'' ''

अनिवार्य मध्यस्था के दायरे में नहीं था, 1965 अधिनियम की धारा 70 द्वारा स्पष्ट किया गया था (जो 1912 अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है) जो अनिवार्य मध्यस्था के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

(5) इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कि दीवानी अदालत के पास दीवानी दावे का विचारण का क्षेत्राधिाकार होगा, सही नहीं है और अधिनियम 1912 और उसके तहत अधिनियमों के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। यू.पी. गन्ना (आपूर्ति और पारेषण का विनियमन) अधिनियम, 1953 और सहकारी समिति अधिनियम, 1912 पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं और अलग-अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम किए गए हैं। 1953 अधिनियम न तो 1912 अधिनियम पर कोई प्रभाव डालता है और न ही इसके किसी भी प्रावधान को हटाता या प्रतिस्थापित करता है। (572 सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 433/1977

उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के दूसरी अपील एनआई 582/71 में निर्णय और आदेश दिनांकित 13 अगस्त 1975 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता के लिए ए.पी.एस. चौहान, गुज राज सिंह चौहान और टी.एस.एरिना।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए इंद्र मकवाना।

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय-

देसाई, जे.- किस प्रकार अधिकार क्षेत्र की कमी की तकनीकी दलील अप्रैल 1964 से एक छोटे कर्मचारी को किस प्रकार दर-दर की ठोकरें खिलाई संभवतः उसके लिए असहनीय कीमत जो उसने चुकाई, इस मामले में चौकाने वाला राक्षसी व्यवहार किया गया है।

प्रथम प्रतिवादी ने सन् 1949 में गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश राज्य में एक छोटे कर्मचारी के रूप में सेवा के लिए शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी गन्ना यूनियन फेडरेशन लिमिटेड (जिसे तत्पश्चात् प्रथम अपीलांट संबोधित किया जाएगा) के गठन पर उसकी सेवा प्रथम उत्तरदाता को स्थानांतरित की गई एवं उसे अपीलांट की पर अपीलकर्ता के अधीन कर दिया गया और उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रासंगिक समय पर वह द्वितीय अपीलकर्ता जिला सहकारी गन्ना विकास लिमिटेड (जिसे अब जिला सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के रूप में नामित किया गया है) बदायूं, जो कि अपीलकर्ता की एक संगीय इकाई है के तहत वह सेवा प्रदान कर रहा था और खाद गोदाम का प्रभारी था, उसे 18 अक्टूबर, 1958 को दूसरे अपीलकर्ता की सेवा से निलंबित कर दिया था। उसके विरुद्ध द्वितीय अपीलकर्ता के धन के गबन के लिए अभियोजन शुरू किया गया कि वह खाद गोदाम की रखवाली के रूप में उसे सौंपे गए 293.1/2 बैग अमोनियम सल्फेट जो उसको न्यस्त किए गए

थे, उसका हिसाब देने में असफल रहा। अंत में उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम प्रतिवादी को बरी कर दिया गया, उसी दिन उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और अततः 04 अप्रैल, 1964 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम प्रतिवादी ने न्यायालय में दावा संख्या 30/64 दावा दायर किया सिविल जज बदायूं के समक्ष इस उद्घोषणा का पेश किया गया कि उसकी सेवा समाप्ति अवैध एवं शून्य थी। वह निरंतर सेवा में रहे और उसके वेतन बिल का एरियर दावा की गई दिनांक से दिलाया जाए। अपने लिखित जवाब में प्रतिवादी (जो कि अब अपीलांट है) ने कई तर्क उठाए थे, लेकिन वर्तमान अपील में केवल एक का संज्ञान लिया। तर्क यह था कि मुकदमे में शामिल विवाद एक सहकारी गन्ना उत्पादक समिति और समिति के एक कर्मचारी के बीच था, इसलिए दीवानी अदालत को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वादी को विवाद के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक से संपर्क करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने 24 मई, 1967 को दावे को डिक्री किया और प्रार्थनीय उद्घोषणा को स्वीकार किया, जिसकी अपीलकर्ताओं ने सिविल अपील संख्या 9/1967 जिला न्यायालय, बदायूं में की, जिसमें यह निर्धारित करते हुए अपील को स्वीकार किया गया कि दीवानी न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने का काई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि विवाद एक सहकारी समिति के अधिकारी और समिति के बीच था, ''विवाद समिति के व्यवसाय को छू रहे थे' एवं फलस्वरूप नियम 115 सहकारी समितियां नियम जो कि यू.पी. सरकार द्वारा बनाए गए थे जो कि

सरकार को धारा 43 सहकारी समिति अधिनियम 1912 (जिसे आगे 1912 के अधिनियम के रूप में संबोधित किया जाएगा) द्वारा आकर्षित होता है विवाद को मध्यस्थता के जरिए पंजीयक द्वारा हल करना होगा। इस निष्कर्ष के द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई और दावा खारिज कर दिया गया। प्रथम प्रत्यर्थी ने द्वितीय अपील संख्या 582/71 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की, एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया कि अपीलार्थी यू.पी. गन्ना (सप्लाई और क्रय विनियम) अधिनियम, 1953 (संक्षिप्त में 1953 का अधिनियम) द्वारा शासित होता है सहकारी समिति और गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और ऐसी गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सेवक इसके अधिकारियों और सेवकों और ऐसी समिति के बीच विवाद 1953 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 54 और 55 द्वारा शासित होगा, जो विवादों के समाधान के लिए पूर्ण तंत्र है और नियम 108 ऐसी सोसायटी और उसके अधिकारियों और सेवकों के बीच अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले विवाद को शासित नहीं करता है। इसलिए अनिवार्य मध्यस्थता के लिए ऐसे प्रावधानों की अनुपस्थित में, ऐसे विवाद सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं करते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने तद्नुसार अपील स्वीकार की और मुकदमे को पहली अपीलीय अदालत में गुणावगुण पर निर्णय के लिए भेज दिया इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका मूल प्रतिवादी द्वारा की गई।

इस अपील में विचार के लिए एकमात्र तर्क यह है कि क्या सिविल न्यायालय के पास गन्ना उत्पादक सहकारी समिति द्वारा 1912 व 1953 के अधिनियम द्वारा शासित अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विवाद को संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार है या ऐसा विवाद केवल मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने वाले सहकारी समिति अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आता है इस विवाद के प्रभावी निपटान के लिए प्रासंगिक प्रावधानों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण आवश्यक है।

जब वर्ष 1964 में मुकदमा दायर किया गया था तो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाया और लागू किया गया था में अभिव्यक्ति ''अधिकारी'' को धारा 2(डी) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है-

2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय व संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात ना हो।

(डी) अधिकारी में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य या नियमों या उप-नियमों के तहत समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त कोई अन्य व्यक्ति शामिल है।

धारा 43 ने स्थानीय सरकार को पूरे प्रांत या उसके किसी हिस्से के लिए विभिन्न उपखंडों में उल्लिखित विभिन्न विषयों पर अधिनियम के उद्देश्य को पूरे करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की, खंड (1), 43(2) प्रासंगिक है इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है-

"43 नियम (1) राज्य सरकार, पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए और किसी भी पंजीकृत सोसायटी या ऐसी सोसायटी के वर्ग के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरे करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम हो सकते हैं-

(1) ऐसी नियम प्रावधान करते हैं कि सदस्य या पूर्व सदस्य या किसी सदस्य या पूर्व सदस्य माध्यम से दावा करने वालो व्यक्तियों के बीच या किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या ऐसा दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच समिति के व्यवसाय से संबंधित कोई भी विवाद दावा करने और समिति या किसी अधिकारी को निर्णय के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा, यदि वह ऐसा निर्देश देता, तो मध्यस्थता के लिए और एक मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने का तरीका निर्धारित करेगा और रजिस्ट्रार या ऐसे मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा। मध्यस्थ और रजिस्ट्रार के निर्णायों और मध्यस्थतों के पंचाटों को लागू करेगा।"

उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूपी. कॉपरेटिव सोसायटी नियम 1936 अधिनियमित किया। नियम 115 इस प्रकार पढ़ा जाएगा -

> ‘‘115 एक पंजीकृत सोसायटी के व्यवसाय से संबंधित कोई भी विवाद किसी सोसायटी के सदस्यों या सदस्यों के बीच या किसी सदस्य या पूर्व सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच या किसी सदस्य या सदस्य या अन्य व्यक्ति के बीच दावा करने वाले और सोसायटी के बीच या इसकी समितियों या सोसायटी के अधिकारी के बीच, सोसायटी या इसकी समिति और सोसायटी के किसी अधिकारी के बीच, दो या दो से अधिक पंजीकृत सोसायटी के बीच, या तो रजिस्ट्रार द्वारा या मध्यस्थता और मध्यस्थता द्वारा निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से रजिस्ट्रार को लिखित रूप में भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.- विवाद में जब देय राशि के भुगतान की मांग की जाती है और या तो इनकार कर दिया जाता है या इसका अनुपालन नहीं किया जाता है भले ही ऐसे दावों का विपरती पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं, दावे शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण 2.- एक अधिकारी में सोसायटी की देख रेख के लिए नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण 3.- किसी सोसायटी के व्यवसाय में उप नियमों में उल्लिखित सोसायटी के उद्देश्यों से संबंधित सभी मामले और साथ ही सोसायटी के पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित मामले भी शामिल हैं। इस नियम 115 की व्याख्या नियम 134 के प्रकाश में की जानी है जो इस प्रकार है-"

> "134 इन नियमों के तहत एक मध्यस्थ या मध्यस्थ के निर्णय के खिलाफ यदि उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं की जाती है और रजिस्ट्रार का आदेश, विवाद के पक्षों के बीच, किसी भी दीवानी या राजस्व में प्रश्न में बुलाए जाने के लिए उत्तरदायरी नहीं होगा, न्यायालय और सभी मामलों में अंतिम और निर्णायक होगा।"

एक और अधिनियम इस विषय पर चर्चा से संबंधित है जिसे यू.पी. कहा जाता है गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1953 कहा जाता है। यह चीनी कारखानों, गुड, रब या खांड-सारी चीनी विनिर्माण इकाइयों में उपयोग के लिए आवश्यक गन्ने की आपूर्ति और खरीद को विनियमित करने और उससे जुड़े प्रासंगिक या सहायक मामलों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित एक अधिनियम है। यह एक गन्ना बोर्ड की स्थापना पर विचार करता है और इसके कार्यों और कर्तव्यों और रिक्तियों को भरने और इसके वित्त को विनियमित करने के तरीकों का प्रावधान करता है। राज्यपाल को अधिसूचना द्वारा उपभोग, उपयोग या

आदेश देने की शक्ति देता है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में गन्ने पर निर्धारत राशि से अधिक उपकर नहीं लगाया जावे। धारा 28 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इस संबंध में खंड 2(एन) प्रासंगिक है इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है-

''28. नियम बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं-

XXX XXX XXX

(एन) गन्ना उत्पादक सहकारी समितियां एवं परिषदों व यू.पी. गन्ना यूनियन फेडरेशनस के संविधान संचालन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, इस अधिनियम और नियमों के प्रयोजन और उनके कर्मचारियों और वित्त के नियंत्रण के लिए गन्ना संघों या ऐसी समितियों या उनके संघों को मान्यता देने से संबंधित शर्तें।

इस ताकत से यू.पी. सरकार ने गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) नियम, 1954 अधिनियमित किया है के प्रासंगिक नियम 54, 55 और 108 है इन्हें विस्तार से फिर से उल्लेखित किया जा सकता हैः

"54. गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों, सहायक सचिवों और लेखाकारों को नियुक्त करने, अनुपस्थिति की

छुट्टी देने, दंडित करने, बर्खास्त करने, स्थानांतरण और नियंत्रण करने की शक्ति, चाहे स्थायी हो या अस्थायी फेडरेशन द्वारा प्रयोग की जाएगी, जो गन्ना आयुक्त के सामान्य नियंत्रण में होगी, जो फेडरेशन के किसी भी आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता हैः

परन्तु यह कि आपातकालीन स्थिति में गन्ना आयोग स्वयं ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।"

"55. नियम 54 में बताई गई समान शक्तियों का प्रयोग अन्य कर्मचारियों के संबंध में सोसायटी द्वारा किया जा सकता है जो फेडरेशन द्वारा बनाए गए नियमों और गन्ना आयुक्त के सामान्य नियंत्रण के अधीन है।"

"108. किसी गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के व्यवसाय से संबंधित कोई भी विवाद सदस्यों के बीच, सदस्यों और सोसायटी के बीच, दो पंजीकृत समितियों के बीच, एक सोसायटी और एक कारखाने के बीच, एक गन्ना उत्पादक के बीच और एक कारखाना, एक परिषद और एक गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, एक परिषद और एक कारखाने के बीच या एक परिषद और एक गन्ना उत्पादक के बीच, एक परिषद को योगदान के भुगतान के संबंध में किसी सोसायटी या कारखाने और परिषद के व्यवसाय से

संबंधित किसी भी अन्य विवाद को निर्णय के लिए गन्ना आयुक्त के पास भेजा जाएगा। गन्ना आयुक्त स्वयं इसका निर्णय करेगा या मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा। कोई भी मुकदमा सिविल या राजस्व न्यायालय में नहीं होगा।"

अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का सर्वेक्षण करने के बाद अब ध्यान इस अपील में मुख्य और एकमात्र विवाद पद केन्द्रित हो सकता है कि क्या 1964 में जब वादी के रूप में पहले प्रतिवादी ने एक घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया था, उसे बर्खास्त करने का आदेश प्रथम अपीलकर्ता दिया गया था, शून्य है और इस निर्णय के लिए कि बदायूं में सिविल कोर्ट, में प्रथम अपीलकर्ता की सेवा में बने रहना के मुकदमें पर उस न्यायालय को विचार करने का क्षेत्र था या नहीं। पहला अपीलकर्ता गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों का एक संघ है और दूसरा अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता की एक संघीय इकाई है। प्रासंगिक समय में प्रथम और द्वितीय अपीलकर्ता अधिनियम 1912 प्रथम अपीलकर्ता के साथ-साथ 1953 अधिनियम द्वारा शासित थे। एक सहकारी समिति के रूप में प्रत्येक को 1912 अधिनियम द्वारा शासित किया जाएगा और प्रतयेक को गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और उसके संघ के रूप में इस उद्देश्य के लिए शासित किया जाएगा कि गन्ने के आपूर्ति और क्रय के विनियमन के उद्देश्य के लिए 1953 के अधिनियम द्वारा शासित किया जाना चाहिए।

सवाल यह है कि सिविल कोर्ट का 1964 में एक सहकारी समिति के कर्मचारी द्वारा सहकारी समिति के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर विचार करने का अधिकार होगा, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश शून्य है और क्या वह क्षतिपूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रार्थना के साथ सेवा में बने रहेंगे? इस विवाद की जांच पहले अन्य बातों के साथ 1912 अधिनिम के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गए नियमों के तहत की जा सकती है और उसके बाद क्या अधिनियम 1953 के प्रभाव का निष्कर्ष पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

हमने ऊपर अधिनिम 1912 में ''अधिकारी'' पद की परिभाषा निकाली है। निःसंदेह यह एक समावेशी परिभाषा है यदि केवल परिभाषा में उल्लिखित अधिकारियों को ''अभिव्यक्ति अधिकारी' के अंतर्गत समझा जाता है तो प्रथम प्रतिवादी एक अधिकारी इस अर्थ में नहीं है कि वह न तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या समिति का सदस्य था, लेकिन अभिव्यक्ति अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी शामिल करता है जो नियमों या उपनियमों के तहत समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त है यदि अभिव्यक्ति ''अधिकारी' का अर्थ निकालने के लिए इजुस्डेम जैनेरिस कैनन के गठन को लागू किया जाए, तो अभिव्यक्ति ''अन्य व्यक्तियों को इसके पहले के शब्दों से रंग लेना चाहिए और तद्नुसार इसमें परिकल्पित ''अन्य व्यक्तियों' के संबंध में तुलना की झलक होनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या सदस्य जैसे सूचीबद्ध व्यक्तियों के

साथ समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने की शक्ति और अधिकार यदि सोसायटी का प्रत्येक कर्मचारी एक अधिकारी होता, तो यह आवश्यक नहीं होता। विधायिका यह प्रावधान करेगी कि समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनके पास नियमों या उपनियमों के तहत समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने की शक्ति होनी चाहिए। प्रथम प्रतिवादी प्रासंगिक समय में खाद गोदाम का प्रभारी पर्यवेक्षक था, जिसका वेतन रुपये 150/- उठाता था। हमें अपीलार्थियों द्वारा इस संबंध में कि प्रथम प्रत्यर्थी पर्यवेक्षक के किसी नियम या उपनियम द्वारा समिति का पर्यवेक्षक होते हुए समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने में सशक्त था। प्रथम प्रतिवादी इस प्रकार समिति का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या सदस्य नहीं है न ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जो नियमों या उपनियमों के तहत सोसायटी के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त है। निःसेदह वह समिति का अधिकारी नहीं था। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि "अधिकारी' अभिव्यक्ति की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। एक समावेशी परिभाषा अभिव्यक्ति या शब्द के व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ को विस्तृत करती है जिसमें वह भी शामिल होता है जो आमतौर पर उसमें समझ में नहीं आता। सबसे पहले व्यापक परिभाषा को शामिल करके अलग रखना वे अधिकारी जिन्हें अन्यथा "अधिकारी' अभिव्यक्ति में नहीं समझा जाएगा, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या प्रथम प्रतिवादी को अभिव्यक्ति "अधिकारी' को सामान्य व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ देते हुए उसमें समझा जाएगा। ये देखा जा सकता है कि

विधायिका का इरादा समिति के प्रत्येक कर्मचारी या सेवक को ''अधिकारी'' शब्द में शामिल करने का नहीं था। ''अधिकारी'' शब्द में किसी व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार का कुछ तत्व है और उसका पालन करना होगा। यदि कोई'' '' ,

अधिकारी आदेश देने की शक्ति का आनंद ले रहा है निर्देशों का पालन करने या पालन कराने के लिए निर्देश और अधीनस्थ ऐसा हो सकता है कि निर्देशों का पालन करने वाला भी अपने अधीनस्थों के संबंध में एक अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति ''अधिकारी'' में जो निहित है वह बाद के भाग द्वारा स्पष्ट किया गया है परिभाषा में यह प्रावधान है कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी एक अधिकारी होगा, जो समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए नियमों ओर उपकानूनों के तहत सशक्त है। यदि यह तर्क दिया जाता है कि एक विशेष व्यक्ति एक विशेष अधिकारी है क्योंकि वह सोसायटी के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने का अधिकारी है। प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न होगा कि कोई विशेष व्यक्ति अधिकारी है या सेवक या कर्मचारी है। जब तक अपीलकर्ता यह बताने की स्थिति में न हो कि प्रथम प्रतिवादी किस अर्थ में एक अधिकारी था कि उसके पास समिति के व्यवसाय के संबंध में अधीनस्थों को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश देने और आग्रह करने की शक्ति थी, ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि पर्यवेक्षक के रूप में नामित व्यक्ति जो कि 150/- रुपये का वेतन प्राप्त करता है एवं खाद गोदाम का प्रभारी है एक अधिकारी होगा। इस संबंध में धारा 43 जी अधिनिम 1912 का उल्लेख करना लाभप्रद होगा,

जो स्थानीय सरकार को समिति के सदस्यों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलंबन और हटाने, और समिति की बैठकों की प्रक्रिया और शक्तियों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। समितियां एवं अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य की शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित कोई भी नियम हमें नहीं बताया गया है कि प्रथम प्रतिवादी अधिकारी होगा जैसा कि धारा में विचार किया गया है। 43(जी) ये इंगित करने के लिए कि कुछ उदाहरणात्मक मामलों पर भरोसा किया गया था कि एक गोदामकीपर धारा 2 डी के अर्थ में अधिकारी नहीं होगा, कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक बनाम त्र्यंबक नारायण सिंघनवाडिकर (1) में एक सहकारी बैंक में सेवारत एक लेखाकार को बैंक का अधिकारी नहीं माना गया, क्योंकि उसके पास बैंक के व्यवसाय के संबंध में कोई निर्देश देने की शक्ति नहीं थी। न ही समिति में किसी लेखाकार को निर्देश देने का अधिकार देने का कोइ नियम बनाया गया था, उन्हें ''अधिकारी' शब्द की परिभाषा से बाहर रहकर समिति का सेवक माना गया। मंजरी कृष्णा अयैर बनाम सेकेट्री अरबन बैंक लि. एवं अन्य (2) यथा। सहकारी समिति का विधिक सलाहकार एक समिति का अधिकारी धारा 2 डी के अर्थ में होगा। कैलाश नाथ हलवाई बनाम रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी यू.पी. एवं अन्य (1) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने रघुवर दयाल जे. (जैसा कि वह तब थे) के माध्यम से बोलते हुए कहा कि एक सहकारी समिति द्वारा संचालित एक दुकान का प्रबंधक समिति का एक अधिकारी था, यह पता चला कि वह दुकान के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने की स्थिति में था,

एक ऐसा व्यवसाय जो समिति के व्यवसाय में शामिल था। इस मामले में महत्वपूर्ण विवाद यह था कि नियम 115 उत्तर प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1936 को अधिकारातीत माना गया था, हालांकि इस निर्णय को विशेष रूप से अबूबकर और अन्य मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। अबूबकर एवं अन्य बनाम जिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मऊ एवं अन्य (2) में यह विशेष रूप से माना गया है कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत बनाए गए नियमों का नियम 115 अधिकारातीत नहीं है।

(1) एआईआर 1945 नागपुर 183

(2) एआईआर 1933 एम डी 682

इन निर्णयों की रूपरेखा और अभिव्यक्ति ''अधिकारी' की परिभाषा पर व्यापक परिभाषा और इसकी व्युत्पत्ति संबंधी भावना दोनों हैं। प्रथम प्रतिवादी गोदाम कीपर के रूप में काम करने वाले पर्यवेक्षक को सहकारी समिति के अधिकारी के रूप में नहीं जाना जा सकता।

दलील का अगला अंग यह है कि नियम 115 जो कि धारा 43(2) के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित किया गया है आकर्षित होगा। धारा 43(2) का खंड 1 रजिस्ट्रार द्वारा मध्यस्थता द्वारा विचार किए गए पक्षों के बीच परिकल्पित विवादों के समाधान के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम 115 एवं 134 अधिनियमित किए गए हैं। जिनको एक साथ पढ़ा जाता है तो यह

स्पष्ट हो जाता है कि यदि विवाद नियम 115 द्वारा विचारित है और इसमें परिकल्पित पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता है तो इसे रजिस्ट्रार को संदर्भित करके हल करना होगा। जिसे रजिस्ट्रार मध्यस्थता या मध्यस्थ या उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थतों द्वारा हल करना होगा। नियम 134 में प्रावधान है कि नियमों के तहत एक मध्यस्थ या मध्यस्थ का निर्णय यदि उसके प्रावधान के अनुसार अपील नहीं की जाती है तो पक्षकारों के बीच अंतिम होगा और किसी भी दीवानी या राजस्व अदालत में प्रश्नगत किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और सभी मामलों में अंतिम और निर्णायक होगा। इसलिए यदि अधिनियम 1912 नियमों को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार अधिनियमित नियम वैधानिक हैं और कुछ विशिष्ट पक्षों के बीच कुछ प्रकार के विवादों को मध्यस्थता और निर्णय द्वारा हल करने का प्रावधान करते है पंचाट को अंतिम और निर्णायक बना दिया जाता है जिन्हें सिविल न्यायालयों द्वारा सुधारा नहीं जा सकता निर्विवादित रूप से निःसेदंह सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट पक्षों के बीच ऐसे निर्दिष्ट विवादों के संबंध में नियम 115 में सूचीबद्ध विवादों को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा।

(1) एआईआर 1960 एएलएल 194

(2) एआईआर 1966 एएलएल 12

प्रश्न इस पर आकर रुकता है कि क्या सहकारी समिति के एक अधिकारी के अलावा एक कर्मचारी और एक अनुशासनात्मक कार्यवाही से

उत्पन्न होने वाली समिति के बीच कोई विवाद है जो नियम 115 के दायरे में आएगा? नियम 115 के खंड (पपप) पर अपीलकर्ता ने यह आग्रह करने के लिए भरोसा किया था कि ऐसा विवाद एक पंजीकृत समिति के व्यवसाय से संबंधित होगा और यह समिति और समिति के किसी अधिकारी के बीच होगा। यह विवाद हमारे इन निष्कर्ष के मद्देनजर निपटाया जाएगा कि प्रथम प्रतिवादी समिति का कोई अधिकारी नहीं है। नियम 115 को आकर्षित करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि विवाद सहकारी समिति के व्यवसाय को छूता है और यह सोसायटी और सोसायटी के किसी अधिकारी के बीच है। नियम 115 लागू होने से पहले दोनों शर्तों को संचय रूप से पूरा करना होगा जिसके परिणामस्वरूप नियम 134 में निहित प्रावधान के मद्देनजर विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा।

पहला सवाल यह है कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विवाद, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समिति के कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है क्या वह समिति के व्यवसाय को छूता है? इस न्यायालय के दो निर्णयों के मद्देनजर इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है।

डेकन मर्चेंट कॉपरेटिव बैंक लिमिटड बनाम मै. डलीचंद जुगराज जैन और अन्य (1) महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1968 की धारा 91 इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। अनुभाग का विश्लेषण करने और यह देखने के बाद कि उपधाराओं में पांच प्रकार के विवादों की गणना

की गई है। धारा 91(1) पांचवा विवाद किसी समिति के व्यवसाय से संबंधित है। न्यायालय ने निम्नानुसार माना-

> ''यह स्पष्ट है कि इस संदर्भ में ''व्यवसाय'' शब्द का अर्थ किसी समिति के मामले नहीं है क्योंकि पदाधिकारियों का चुनाव, आम बैठकों का संचालन और समिति के प्रबंधन को एक समिति के मामलों के रूप में माना जाएगा, इस उपधारा में ''व्यवसाय'' शब्द का प्रयोग एक संकीर्ण अर्थ में किया गया है और इसका मतलब समिति की वास्तविक व्यापारिक या वाणिज्यिक या अन्य समान व्यवसायिक गतिविधि है जिसे समिति अधिनियम और नियमों और उसके उपनियमों के तहत शामिल करने के लिए अधिकृत है।''

इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने माना कि एक इमारत में बैंक के एक सदस्य के किरायेदार के बीच विवाद, जिसे बाद में बैंक द्वारा अधिगृहित कर लिया गया है। समिति के व्यवसाय से संबंधित विवाद में कहा जा सकता है। इस विनिश्चय पर पहुंचते हुए न्यायालय ने किशोरी लाल एवं अन्य बनाम कॉपरटिव सेंट्रल बैंक लि.(1) के मत को अस्वीकार कर दिया व डेकन मर्जेंट कॉपरेटिव सोसायटी बैंक (2), में दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए यह न्यायालय कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. और अन्य बनाम अतिरिक्त आद्योगिक न्यायाधीकरण, आंध्रप्रदेश और अन्य ने अपने आपसे

एक प्रश्न पूछा कि क्या सहकारि समिति ओर कर्मचारी के बीच का विवाद उस मामले में इस न्यायालय द्वारा समझाए गए अर्थ में समिति के व्यवसाय को प्रभावित करता है। न्यायालय ने इस तर्क का उत्तर इस प्रकार दिया।

> ''इन प्रेक्षणों को लागू करते हुए हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामलों में औद्योगिक न्यायाधीकरण को संदर्भित पहले मुद्दे द्वारा कवर किया गया विवाद संभवतः अधिनियम की धारा 61 के तहत रजिस्ट्रार को निर्णय के लिए नहीं भेजा जा सकता है। विवाद श्रमिकों की सेवा में शर्तों के बदलाव से संबंधित है जिसके लिए राहत केवल औद्योगिक विवाद से निपटने वाले औद्योगिक न्ययाधीकरण द्वारा ही दी जा सकती है। रजिस्ट्रार अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है संभवतः अनुमति नहीं दे सकता था इस मुद्दे के तहत राहत का दावा अधिनियम में उसकी शक्तियों पर लगाई गई सीमाओं के कारण लिया गया है। यह सच है कि धारा 61 में अपने आप में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि रजिस्ट्रार सेवा की शर्तों में बदलाव से संबंधित विवाद पर विचार नहीं कर सकता है। एक पंजीकृत सोसायटी के कर्मचारी, लेकिन सोसायटी के व्यवसाय को छूने वाली अभिव्यक्ति को दिया गया अर्थ, हमारी राय में, यह बहुत संदिग्ध बनाता है कि

क्या सेवा की शर्तों में बदलाव के संबंध में कोई विवाद इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। जब तक कि ''व्यवसायी समिति की वास्तविक व्यापार या वाणिज्यिक या अन्य समान व्यवसायी गतिविधि के बराबर है चूंकि यह माना गया है कि इस प्रस्ताव की सदस्यता लेना मुश्किल होगा कि समिति जो कुछ भी करती है या करना आवश्यक है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे के अपने कर्मचारी की सेवा की शर्तों को निर्धारित करना इसके व्यवसाय का एक हिस्सा कहा जा सकता है ऐसा प्रतीत होता है कि समिति द्वारा नियोजित श्रमिकों की सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद इसे समिति की व्यवसायी से संबंधित विवाद नहीं माना जा सकता''

इसलिए उपरोक्त दोनों निर्णयों के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न विवाद जिसके फलस्वरूप सोसायटी के किसी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है को सोसायटी के व्यवसाय से संबंधित विवाद नहीं कहा जा सकता।

(1) एआईआर 1946 नागपुर 16

(2) [1969] 1 एससीआर 887

(3) [1970] 1 एससीआर 205

कुछ हद तक इस निष्कर्ष को उत्तर प्रदेश के संदर्भ से पुष्ट किया जा सकता है। सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया। सहकारी समिति अधिनियम 1912 उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने अनुप्रयोग में 1965 अधिनियम की धारा 70 विवादो के निपटारे का प्रावधान करती है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> ''70 वे विवाद जिन्हें मध्यस्थ्ता के लिए भेजा जा सकता है-1 किसी भी समय लागू कानून में किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से सबंधित कोई विवाद हो तो सिकी सोसायीटी के वेतनिक सेवक के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंधि में विवाद उत्पन्न होता है.....''

यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि रजिस्ट्रार द्वारा मध्यस्थ्ता द्वारा सहकारी समितियों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए वैधानिक प्रावधान करते समय विधायिका ने सोसायटी के वेतन भोगी सेवकों के खिलाफ सोसायटी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित विवाद को इस दायरे से बाहर रखा है। अनिवार्य मध्यस्थ्ता का दायरा, ये विचाराधीन विषय की विधायी व्याख्या है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर 1912 अधिनियम लागू था और विवाद का उत्तर 1912 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। हालांकि यह विश्वास करना कठिन है कि 1965 अधिनियम जिसने

1912 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित किया था, उसे संचालन के क्षेत्र से बाहर रखा गया था जो पहले से ही निरस्त अधिनियम के तहत शामिल था। इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि 1912 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में जो निहित था कि ऐसा विवाद सोसायटी के व्यवसाय से संबंधित नहीं था और अनिवार्य मध्यस्थता के दायरे में नहीं था उसे स्पष्ट रूप से बाहर करके स्पष्ट कर दिया गया था जिसे स्पष्ट रूप से अनिवार्य मध्यस्थता के क्षेत्र से बाहर करके स्पष्ट कर दिया गया था।

हालांकि, हम इस निर्णय को प्रस्तुतीकरण के दूसरे अंग पर रखेंगे जिसमें न केवल विवाद सोसायटी के व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए बल्कि यह सहकारी सोसायटी और उसके अधिकारी के बीच ही होना चाहिए। सबसे पहले प्रतिवादी को सोसायटी के प्रगणित अधिकारियों में नहीं दिखाया जा रहा है और न ही नियमों या उपकानूनों के तहत सोसायटी के व्यवसाय के संबंध में दिशा-निर्देश देने का अधिकार दिया गया है वह एक अधिकारी नहीं होगा। 1912 अधिनियम में अभिव्यक्ति का अर्थ किसी कर्मचारी जो अधिकारी नहीं है और सोसायटी के बीच कोई भी विवाद नियम 115 को आकर्षित नहीं करेगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए ऐसा विवाद नियम 115 के दायरे से बाहर होगा और यह दीवानी विवाद है और दीवानी न्यायालय के पास इसमें प्रवेश करने का अधिकार क्षेत्र होगा और उस पर निर्णय का अधिकार।

उच्च न्यायालय ने इस मामले को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से दखा। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यह मामला 1953 अधिनियम और धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियमित नियम 54 और 55 द्वारा शासित होगा। 1953 अधिनियम के धारा 28 में एक विशिष्ट मंच प्रदान किया है अर्थात गन्ना आयुक्त को एक संदर्भ और राज्य सरकार को अपील एवं नियम 108 आकर्षित नहीं है। इसलिए विवाद को मध्यस्थ्ता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए दीवानी न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। सम्मान के साथ उच्च न्ययालय के दृष्टिकोण का समर्थन करना कठिन है। चीनी मिलों गुड़, राभ एवं खानसारी विनिर्माण इकाइयों में उपयोग के लिए आवश्यक गन्ने की आपूर्ति और खरीद को विनियमित करने के लिए 1953 अधिनियम बनाया गया है। इसमें एक गन्ना बोर्ड की स्थापना की परिकल्पना की गई है और बोर्ड को चीनी कारखानों के लिए गन्ने के विनियमन, आपूर्ति और खरीद से संबंधित कार्य सौंपा गया था और कारखानों, गन्ना उत्पादकों, सहकारी समितियों के प्रबंधकों, प्रबंधकों के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए कार्य सौंपा गया था। अधिनियम ने एक विकास परिसर की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है और हमारे कार्यों को सेक्शन 6 में गिना गया है। इन प्रावधानों के सर्विसों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम एक गन्ना ओर गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखानों के संबंधों को विनिर्मित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरी ओर ''गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति अभिव्यक्ति को परिभाषित किया

गया है। धारा 2 एफ का अर्थ सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत एक समिति है जिसका एक उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा उगाये गए गन्ने को बेचना है और इसमें धारा के तहत पंजीकृत ऐसे समितियों का संघ शामिल है। उक्त अधिनियम के धारा 8। अपीलकर्ता इस प्रकार एक सहकारी समिति है और यह ऐसी सहकारी समितियों का एक संघ होने के नाते ''गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति अभिव्यक्ति में भी शामिल है। अधिनियम की धारा 28 2 एन पर यह दिखाने के लिए भरोसा किया गया था कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों और वित्त के नियंत्रण के लिए नियम बनाने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम 54 एवं 55 अधिनियमित किए गए हैं। नियम 54 में प्रावधान हैं कि गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के स्थायी या अस्थायी सचिवों, सहायक सचिवों और लेखाकारों को नियुक्त करने, अनुपस्थिति की छुट्टी देने, दंडित करने, बर्खास्त करने स्थानांतरण और नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग महासंघ द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि गन्ना आयुक्त का सामान्य नियंत्रण जो फेडरेशन के किसी भी आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता है एक प्रावधान है जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। नियम 55, 54 में उल्लिखित शक्तियों के समान शक्तियां प्रदान करता है जिनका प्रयोग सोसायटी अन्य कर्मचारियों के संबंध में फेडरेशन द्वारा बनाए गए नियमों और गन्ना आयुक्त के सामान्य नियंत्रण के अधीन करती है। अलंकरण से वंचित नियम 55 फेडरेशन को, अर्थात प्रथम अपीलकर्ता को नियम 54 में सूचीबद्ध कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुपस्थिति

की छूटटी, सजा, बर्खास्त और स्थानांतरण के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है और यह नियम है और यह नियम गन्ना कमिशनर के सामान्य नियंत्रण के अधीन किए जाने वाले नियम 108 में उल्लिखित विवादों की अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान है और यह सामान्य आधार है कि परीक्षण के तहत वर्तमान प्रकृति का विवाद नियम 108 के अंतर्गत नहीं आएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम 54 और 55 अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विनियमन बनाने की शक्ति के प्रावधान के साथ अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। गन्ना आयुक्त के यहां पर अपील तथा अपील का प्रावधान तथा नियम 108 लागू न होने पर सिविल न्यायालय को वर्तमान विवाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि 1953 अधिनियम न तो 1912 को निरस्त करता है और न ही प्रतिस्थापित करता है। गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के अलावा अन्य गन्ना उत्पादक 1953 अधिनियम द्वारा शासित होंगे, लेकिन गन्ना उत्पादक सहकारी समिति नहीं होने के कारण यह 1912 अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे। एक गन्ना उत्पादक सहकारी समिति सहकारी समितियों के कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में 1912 अधिनियम द्वारा शासित होगी ओर गन्ना उगाने और बेचने के अपने व्यवयास के संबंध में यह 1953 के अधिनियम द्वारा शासित होगी। दोनों अधिनियम पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं ओर अलग-अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किए गए हैं। 1953 का अधिनियम न तो 1912 के अधिनियम पर कोई प्रभाव डालता

है न ही इसके किसी भी प्रावधान को हटाता है या प्रतिस्थापित करता है। इसलिए 1953 के कुछ प्रावधान 1912 के अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड या सुपरशीड नहीं कर सकते है। और 1953 के अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने 1912 अधिनियम और अधिनियमित नियमों के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने में गलती की है।

हालांकि हमारी खोज के मद्देनजर कि विवाद पहले लाया गया था, इस मामले में सिविल कोर्ट किसी समिति और इसके किसी अधिकारी के बीच विवाद नहीं था, इसलिए नियम 115 को आकर्षित करने की शर्तों से संतुष्ट न होने पर सिविल न्यायालय को वाद का विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा, इन कारणों से उच्च न्यायालय का फैसले की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार यह अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

चूंकि विवाद बहुत पुराना है हमें आशा है कि इसका निपटारा विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा शीघ्रता से किया जाएगा, जिसके पास यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रामपाल जाट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।